

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 12/20-21

(2)

एस्वार त्रिफा आवेदक
बनाम

शिव प्रसाद उरीव विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती एस्वार त्रिफा
पिता/प्रति स्व. आशु मल त्रिफा निवास,
ग्राम लोहरका रोड थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित
दुन्दरिया
विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
दुन्दरिया	गुमला 54	2	393	0.08 एकड़

(आठ डिसमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता
श्री/श्रीमती शिव प्रसाद उरीव पिता/प्रति स्व. उरीव
निवासी ग्राम लोहरका रोड थाना गुमला जिला
गुमला को राशि रुपये 8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) पर
बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज
हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे हैं।
अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के
पत्रांक 33 दिनांक 04/07/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति

4

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के अरैव है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती हरशार विष्ट पिता/पति शुभिमस विष्ट निवासी ग्राम लोहरगा बाँडे दुन्दरिमा थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
दुन्दरिमा	गुमला 44	2	393	0.08 (फुड)

(कुल आठ डिग्रीस)

चौहदी - उत्तर- 10 फीट का रास्ता
 दक्षिण- पुंजन वणे वीररह का जमीन
 पूरब- सरस्वती देवी का जमीन
 पश्चिम- उर्षी अरैव का जमीन

लेखापित एवं संशोधित
वीररह
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।

वीररह
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुमला।